पूरी बेंच

न्यायमूर्ति हरबंस सिंह, सी.जे., गुरदेव सिंह और से पहले पटेला *चांद जैन*

ग्राम पंचायत मूर्थल —*याचिकाकर्ता.*

बनाम

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, प्रतिवादी।

1970 का नागरिक संशोधन क्रमांक 732।

27 मई 1971.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1)—*अनुभाग* 18(2)-*परिसीमा अधिनियम (XXXVI)* 1963)-*धारा* 12 और 29-*आवेदन हेतु* संदर्भ *इस अनुभाग के अंतर्गत* 18(2)-*अवधि की गणना* का *के लिए सीमा*-समय बिताया *प्रति प्राप्त करना* की *पुरस्कार*-*चाहे* होना *बहिष्कृत—ऐसा अनुप्रयोग—क्या अनुभाग द्वारा परिकल्पित अनुसार पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है*12(4), *परिसीमन अधिनियम.*

आयोजित, परिसीमा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के तहत, एक पक्ष डिक्री की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय में कटौती करने का हकदार है,

तीन मामलों में सजा या आदेश की अपील की गई या उसे संशोधित या समीक्षा करने की मांग की गई, अर्थात। (1) एक अपील, (2) अपील की अनुमति के लिए एक आवेदन और (3) किसी फैसले की समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन। यह उप-धारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत परिकल्पित संदर्भ बनाने के लिए एक आवेदन की बात नहीं करती है। यह क़ानून की भाषा के साथ हिंसा होगी यदि सीमा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत, यहां तक कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ बनाने के लिए आवेदन को भी बाहर रखा जाए, खासकर जब विधायिका ने ऐसा सोचा हो उन तीन प्रकार के मामलों को निर्दिष्ट करना उचित होगा जिन पर वह उपधारा लागू होनी थी। इसलिए एक आवेदक भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करते समय पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने में लगने वाली अवधि को बाहर करने का हकदार नहीं है।

(4 के लिए)

यह माना गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ का दायरा केवल चार बिंदुओं तक सीमित है, अर्थात्, भूमि की माप से संबंधित आपत्तियां, मुआवजे की राशि, जिस व्यक्ति को यह देय है, और इसका बंटवारा इच्छुक व्यक्तियों के बीच राशि. आवेदन इस धारा के परंतुक में निर्दिष्ट सीमा अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। कलेक्टर के पुरस्कार से असंतुष्ट इच्छुक व्यक्ति के लिए एकमात्र उपाय धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करना है। अधिनियम ने एक विशेष क्षेत्राधिकार बनाया है और एक विशेष उपाय प्रदान किया हैव्यक्तिउस क्षेत्राधिकार के प्रयोग से की गई किसी भी बात से व्यथित। हालांकि

कलेक्टर का निर्णय सरकार के खिलाफ निर्णायक है, लेकिन यह मामले को न्यायालय में भेजने के भूमि मालिक के अधिकार के अधीन है। इस धारा को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन जिसमें कलेक्टर द्वारा मामले को न्यायालय में भेजने की आवश्यकता होती है, वह किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन नहीं है जैसा कि उप-धारा (4) के तहत परिकल्पित है। परिसीमा अधिनियम की धारा 12. (पैरा 15 और 16)

द्वारा संदर्भित प्रकरण*21 नवम्बर को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह,* 1970*मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए पूर्ण पीठ के पास। प्रश्न का निर्णय करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह, माननीय श्री न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन की पूर्ण पीठ ने मामले को एकल पीठ को वापस भेज दिया। 21 मई* 1971*मामले के अंतिम निपटारे के लिए.*

धारा के तहत याचिका 115*सिविल प्रक्रिया संहिता के,* 1908,*पुनरीक्षण के लिए. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी संपदा निदेशालय, हरियाणा, चंडीगढ़ के आदेश, दिनांक* 25 *मई,* 1970.*दाखिलआवेदनसमय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ है।*

एनन्दएसवारूप, यह होअलहारा, आर. एस. एमयह पर,औरएस।एन. एश्री, एवकील.याचिकाकर्ता के लिए.

जी.सी.एमडिजिटलऔरएस।एन. जीआर्ग,. एवकील,के लिएप्रतिवादी.

प्रलय

न्यायमूर्ति पी. सी.जैन.- हमारे निर्णय के लिए मेरे भगवान, मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो प्रश्न भेजा गया है, वह निम्नलिखित शब्दों में है: -

> "क्या आवेदक भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करते समय पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने में लगने वाली अवधि को बाहर करने का हकदार है?

2. विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय के बहिष्कार का दावा करने का हकदार है। उनके तर्क के समर्थन में न्यायिक घोषणाओं के अलावा, भारतीय परिसीमा अधिनियम (इसके बाद परिसीमा अधिनियम के रूप में संदर्भित) के दो प्रावधानों, अर्थात् धारा 12 की उपधारा (2) और धारा 29 पर भरोसा किया गया था। विभिन्न उच्च न्यायालय. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री मितल द्वारा यह तर्क दिया गया कि सीमा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) का दायरा सीमित था और धारा 29 बदले में इसके दायरे को बढ़ा या बढ़ा नहीं सकती थी। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत किए जाने वाले संदर्भ का एक आवेदन भी शामिल है।
3. पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क से सहमत होने में खुद को असमर्थ पाता हूं। परिसीमा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में हैं: -

> "12. (1) किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करते समय, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, उसे बाहर रखा जाएगा।

2. किसी अपील या अपील की अनुमति के लिए आवेदन या किसी निर्णय की समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने में, जिस दिन शिकायत की गई निर्णय सुनाया गया था और डिक्री, सजा या की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है या जिसे संशोधित या समीक्षा करने की मांग की गई है, उसे बाहर रखा जाएगा।
3. जहां किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील की जाती है या उसे संशोधित या समीक्षा करने की मांग की जाती है, या जहां किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है, उस निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय जिस पर डिक्री या आदेश आधारित है भी बाहर रखा जाएगा.
4. किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए किसी आवेदन के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय, पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।

    स्पष्टीकरण-इस धारा के तहत किसी डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की गणना करते समय, उसकी प्रति के लिए आवेदन करने से पहले डिक्री या आदेश तैयार करने में न्यायालय द्वारा लिया गया कोई भी समय शामिल नहीं किया जाएगा।

29(2) जहां किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए कोई विशेष या स्थानीय कानून अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा अवधि निर्धारित करता है, धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी भी सीमा अवधि का निर्धारण करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे, जिस हद तक और जिस हद तक , उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है।"

4. धारा 29 की उप-धारा (2) धारा 4 से 24 तक के प्रावधान बनाती है, जहां तक और जिस हद तक उन्हें किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा जाता है, जो किसी मुकदमे, अपील या आवेदन पर लागू होता है। किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित की जाती है। अधिनियम एक विशेष कानून है और इसलिए धारा 12 लागू होगी। धारा 12 की उपधारा (2) के तहत, एक पक्ष डिक्री, सजा या आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय में कटौती करने का हकदार है, जिसके खिलाफ अपील की गई है या तीन मामलों में संशोधित या समीक्षा की मांग की गई है, अर्थात, (1) एक अपील, (2) अपील की अनुमति के लिए एक आवेदन और (3) किसी निर्णय की समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन। यह उपधारा अधिनियम की धारा 18 के तहत परिकल्पित संदर्भ बनाने के लिए किसी आवेदन की बात नहीं करती है। मेरे विचार में यह क़ानून की भाषा के प्रति हिंसा होगी यदि धारा 12 की उपधारा (2) के तहत यहां तक कि धारा 18 के तहत संदर्भ बनाने के लिए आवेदन को भी बाहर रखा जाए, खासकर जब विधायिका ने तीन प्रकार को निर्दिष्ट करना उचित समझा हो जिन मामलों में वह उपधारा लागू होनी थी।
5. श्री आनंदित सरूप, अर्थात् अधिवक्ता, विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि किसी भी विशेष या स्थानीय कानून के तहत आने वाले मामलों में, धारा 12 की उप-धारा (2) का लाभ किसी भी 'मुकदमे के संबंध में दिया जाएगा। अपील या आवेदन' और इसका दायरा नहीं हो सकता

केवल उसमें निर्दिष्ट मामलों तक ही सीमित रहेगा, अर्थात् अपील, अपील की अनुमति के लिए आवेदन या पुनरीक्षण या समीक्षा के लिए आवेदन। यदि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इच्छानुसार व्याख्या की जाती है, तो इससे भ्रमित करने वाले परिणाम आना स्वाभाविक है। यदि इस तरह की व्याख्या की जाती है, तो इसका मतलब क़ानून में कुछ जोड़ना होगा। यह व्याख्या का एक सुविख्यात सिद्धांत है कि किसी क़ानून में तब तक कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक कि इस अनुमान को सही ठहराने के लिए पर्याप्त आधार न हों कि विधायिका का कुछ इरादा है।जिसे व्यक्त करना छोड़ दिया गया। धारा 29 की उपधारा (2) केवल उन कार्यवाहियों का वर्णन करती है जिन पर धारा 4 और 24 लागू होती हैं बशर्ते कि वे लागू हों; लेकिन मुझे डर है, मैं इस विचार से सहमत होने में असमर्थ हूं कि धारा 29 की उपधारा (2) को अधिनियमित करने में, विधानमंडल का इरादा धारा 12 की उपधारा (2) या किसी अन्य का दायरा बढ़ाना था। परिसीमा अधिनियम का प्रावधान जो उस उपधारा के आधार पर लागू किया गया है। मेरे विचार में, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि धारा 29(2) का एकमात्र उद्देश्य किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि की गणना करते समय धारा 4 से 24 को ठीक उसी तरह लागू करना था जैसे वे होंगे। सामान्य के तहत समान कार्यवाहियों के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय लागू होता हैकानून जो होगाशासित होनाद्वाराभारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रावधान.

4. इस स्तर पर मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है और विद्वान वकील श्री जी.सी. मित्तल पर भरोसा किया जा सकता है, और जो मेरे विचार का समर्थन करते हैं। पहला मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की डिविजन बेंच का फैसला है *खाशाबा दाजी शिंदे* वी. एम. वी. *हिंज विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं अन्य* (1). उस मामले में बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न उठाया गया था, अर्थात, क्या अधिनियम की धारा 18(1) के तहत एक संदर्भ बनाने के लिए कलेक्टर को आवेदन करने वाला व्यक्ति उस पुरस्कार की प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय के बहिष्कार का दावा कर सकता है जिसके संबंध में वह आवेदन किया कि एक संदर्भ दिया जाना चाहिए और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय की ओर से बोलते हुए, कोटवाल, जे. ने निम्नानुसार कहा: -

> "इस प्रकार धारा 29 की उपधारा (2) परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत हर प्रकार के आवेदनों पर लागू करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक विशेष कानून है और इसलिए, धारा 29(2) के आधार पर धारा 12 लागू होगी। धारा 29(2) आम तौर पर सभी अनुप्रयोगों के बारे में बात करती है, लेकिन जब हम धारा 12 के प्रावधानों की ओर मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उप-धारा (2) सभी अनुप्रयोगों के बारे में बात करती है।

तीन चीजों के लिए निर्धारित सीमा अवधि, अर्थात। (1) एक अपील; (2) अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन और (3) किसी निर्णय के पुनरीक्षण या समीक्षा के लिए एक आवेदन। यह केवल उल्लिखित कार्यवाहियों की तीन श्रेणियों के संबंध में है कि एक पक्ष डिक्री, सजा या आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को बाहर करने का हकदार है, जिसके खिलाफ अपील की गई है या संशोधित या समीक्षा की मांग की गई है। इस प्रकार उपधारा (2) धारा 18 के तहत एक संदर्भ बनाने के लिए एक आवेदन के मामले को कवर नहीं करती है क्योंकि यह किसी भी तरह से नहीं हो सकता हैकाभाषा को या तो छुट्टी के लिए आवेदन माना जाएगाकोनिर्णय की समीक्षा के लिए अपील या आवेदन। इसलिए, धारा 12 की उप-धारा (2) लागू नहीं हो सकती।

4. अगला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह है aभरा हुआमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच का फैसला गोपालदास सरदयाल बनाम *बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र.* (2). उस मामले में सवाल यह था कि क्या 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय यूपी की धारा II की उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया जाना चाहिए? बिक्री अधिनियम, 1948 (जैसा कि वर्ष 1952 में लागू था), एक निर्धारिती धारा 10(3) के तहत आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को बाहर करने का हकदार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक था और न्यायालय की ओर से बोलते हुए वी.भार्गव, जे.देखाइस प्रकार : -

"मेरे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 29 का उद्देश्य भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 4, 9 से 18 और 22 को किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत परिसीमा की अवधि की गणना करते समय ठीक उसी तरह लागू करना था जैसे वे करते हैं। सामान्य कानून के तहत समान कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय लागू होगा जो भारतीय सीमा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। ऐसा मानने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि धारा 29 किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना के लिए लागू प्रावधानों के दायरे को उन प्रावधानों में स्पष्ट रूप से निर्धारित दायरे से परे बढ़ाती है जब उन्हें इस उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है। भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत ही परिसीमा अवधि की गणना करना। मैं अपने भाई देसाई, जे. द्वारा व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूं *राम सिंह व अन्य* में। *पंचायती अदालत एवं अन्य* (3),

2. (1956) 7 एस.टी.सी. 360.
3. वायु। 1954 सभी. 252.

इस प्रश्न से निपटते समय कि क्या पंचायती अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित 60 दिनों की सीमा अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जा सकता है? यूपी की धारा 85 के तहत आवेदन पंचायत राज अधिनियम, इस आशय का

'न्यायालय को संपूर्ण धारा के प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए, लेकिन केवल वहीं तक जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है। न्यायालय को प्रावधानों को लागू करने के लिए उनमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता या अधिकृत नहीं है, यदि अन्यथा वे लागू नहीं होते, तो केवल उनके सिद्धांत या सादृश्य को लागू करने की आवश्यकता या अधिकृत नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 29(2) कई धाराओं में निहित प्रावधानों को तब लागू करती है जब किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा अवधि निर्धारित की जानी हो। ऐसा हो सकता है कि किसी निश्चित मामले में उन धाराओं में से किसी एक के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वे तथ्य शामिल नहीं हैं जिन पर उस धारा के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है या, दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसमें देय होने के बावजूद उन धाराओं में से किसी एक के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसके प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। ऐसे मामले में, अपने सिद्धांत को प्रभावी बनाने या सादृश्य के माध्यम से इसे लागू करने के लिए अनुभाग की भाषा को संशोधित करने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं है।'

धारा 29 के प्रावधानों पर विद्वान वकील द्वारा की गई व्यापक व्याख्या, यदि किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि की गणना के लिए उस धारा द्वारा लागू किए गए भारतीय सीमा अधिनियम के सभी प्रावधानों के संदर्भ में विचार की जाती है, तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए. भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 13, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, निर्धारित परिसीमा की अवधि की गणना करने की विधि से संबंधित हैकोईमुकदमा और निर्धारित करता है कि वह समय, जिसके दौरान प्रतिवादी ब्रिटिश भारत से और केंद्र सरकार या क्राउन प्रतिनिधि के प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत से परे क्षेत्रों से अनुपस्थित रहा है, को बाहर रखा जाएगा। यदि धारा 29 के दायरे के बारे में विद्वान वकील की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 13 की व्याख्या न केवल एक मुकदमे के लिए बल्कि एक अपील के लिए भी निर्धारित सीमा अवधि की गणना के लिए एक नियम के रूप में की जाएगी। एक आवेदन के रूप में जब मुकदमा, अपील या आवेदन किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत होता है। की उपधारा (2) पर इस व्याख्या का प्रभाव

धारा 12 पर भी विचार किया जा सकता है। यदि अपील की अनुमति के लिए आवेदन या फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन के अलावा किसी मुकदमे या आवेदन के लिए परिसीमा की अवधि की गणना सामान्य कानून के तहत की जानी है, जिस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम लागू होता है, तो उप-धारा (2) के प्रावधान) धारा 12 स्पष्ट रूप से लागू नहीं हैं, दूसरी ओर, हमारे सामने रखी गई धारा 29 की व्याख्या पर, धारा 12 की उप-धारा (2) के प्रावधान किसी भी मुकदमे और छुट्टी के लिए आवेदन सहित किसी भी आवेदन पर लागू होंगे। अपील करने और निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए, बशर्ते कि परिसीमा की अवधि किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित की गई हो। आम तौर पर, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश को निष्पादित करने के लिए किसी आवेदन की सीमा अवधि गिरती है

भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 182' के तहत कॉम है डिक्री या आदेश की तारीख से रखा जाता है, सिवाय इसके कि उस अनुच्छेद के खिलाफ तीसरे कॉलम में उल्लिखित विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, और यह अवधि तीन साल है जब तक कि डिक्री या आदेश की प्रमाणित प्रति पंजीकृत नहीं की गई हो जब यह छह साल हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि, डिक्री या आदेश की तारीख से तीन साल या छह साल की इस अवधि की गणना करने में, डिक्री या आदेश की एक प्रति प्राप्त करने में खर्च किया गया समय धारा की उप-धारा (2) के तहत बाहर नहीं किया जाएगा। भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 12. चतुर्थ अनुसूची के समूह (एफ) उ.प्र. किरायेदारी अधिनियम, 1939, उस अधिनियम के तहत पारित विभिन्न प्रकार के डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है। यू.पी. के तहत धन डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन के मामले में। किरायेदारी अधिनियम, अवधि तीन वर्ष है और इसकी गणना मामले में अंतिम डिक्री की तारीख से की जाएगी। हमारे समक्ष प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार, यह मानना होगा कि, यू.पी. के तहत धन डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय। किरायेदारी अधिनियम, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 12' की उप-धारा (2) के प्रावधानों को लागू करना होगा और अंतिम डिक्री की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को बाहर रखा जाएगा। यह परिस्थिति कि निष्पादन के लिए आवेदन करते समय डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करना आवश्यक नहीं हो सकता है, प्रिवी काउंसिल के उनके आधिपत्य के निर्णय के मद्देनजर महत्वहीन होगा।*जे.एन. सुरती* में।*टी. एस. चेट्टियार फर्म* (4), क्योंकि एक डिक्रीधारक को निष्पादन के लिए आवेदन करते समय प्रतिलिपि दाखिल करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डिक्री और निर्णय की एक प्रति की आवश्यकता हो सकती है। प्रिवी काउंसिल में उनका प्रभुत्व था: -

> 'धारा 12 सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य अधिनियम का कोई संदर्भ नहीं देती है। यह यह नहीं बताता कि समय को क्यों बाहर रखा जाए, बल्कि इसे केवल एक सकारात्मक दिशा के रूप में लागू किया गया है।

एफएलएफ पी.सी. एम

आईआईएस-

Gram Panchayat, Murthal *में/*
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (जैन, जे.)'मैं

यदि, वास्तव में, यह दिखाया जा सकता है कि कुछ विशेष वर्ग के मामलों में दो दस्तावेज़ प्राप्त करने में कोई वस्तु नहीं हो सकती है, तो एक तर्क पेश किया जा सकता है कि कोई समय नहीं हो सकता हैहोनाकिसी ऐसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो आवश्यक न हो। लेकिन यह ऐसा नहीं है। डिक्री जटिल हो सकती है, और हो भी सकती हैहोनाइसे दो अलग-अलग तरीकों से तैयार करने के लिए खोलें, और अभ्यासकर्ता इस पर हमला करने से पहले इसका स्वरूप देखना चाह सकता हैद्वारा" उनका ज्ञापन- अपील।'और'स्क्र'

इस सिद्धांत पर, एक डिक्री-धारक यू.पी. के तहत अपने डिक्री को क्रियान्वित करता है। किरायेदारी अधिनियम बहुत अच्छी तरह से दावा कर सकता है कि उसे यह तय करने के लिए कि उसे निष्पादन के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं और डिक्री को निष्पादित करने का तरीका चुनने के लिए डिक्री की एक प्रति की आवश्यकता है। फिर वह यह दावा करने का हकदार होगा कि, भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 29 के तहत, यूपी द्वारा निर्धारित उस आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय डिक्री की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। किरायेदारी अधिनियम जो स्पष्टतः एक विशेष एवं स्थानीय कानून है। मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि धारा 29 में "किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन" शब्दों का उपयोग करते समय विधायिका का इरादा धारा 12 की उप-धारा (21) के दायरे को इतना बढ़ाने का हो सकता है कि इसे लागू किया जा सके। के तहत निष्पादन के लिए एक आवेदन का मामला किरायेदारी अधिनियम या ऐसे अन्य विशेष या स्थानीय कानून, जबकि धारा 12 की उपधारा (2) स्पष्ट रूप से इस प्रकार लिखी गई थी कि सामान्य कानून के तहत निष्पादन के लिए आवेदन पर लागू नहीं होती, जिसके लिए सीमा की अवधि भारतीय सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। . व्याख्या, जो इस प्रकार एक विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि की गणना के लिए इसकी प्रयोज्यता में धारा 12 की उप-धारा (2) के दायरे को व्यापक बनाना चाहती है, को विधायिका के इरादे के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। धारा 29 को अधिनियमित करने में, जो, स्पष्ट रूप से, इस प्रावधान का लाभ उस व्यक्ति को देना था जिसकी अपील या अपील की अनुमति के लिए आवेदन या फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा द्वारा शासित था, न कि सामान्य द्वारा परिसीमा अधिनियम में शामिल कानून।"

8. दूसरा मामला जिसका संदर्भ लिया जा सकता है वह पंजाब के मुख्य न्यायालय का है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है *भगवान दास* बनाम *कलेक्टर, लाहौर,* (5), जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था: -

"इसलिए, 1894 के अधिनियम 1 की धारा 18(1) और सीमा की धारा 12 के शब्दआयन अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और

स्पष्ट, और जैसा कि उनके स्पष्ट सामान्य अर्थ में बाद के अधिनियम की धारा 12 में प्रयुक्त शब्दों को इस तरह से मजबूर तरीके से नहीं समझा जा सकता है कि धारा 18(1) के तहत एक आवेदन के मामले को कवर किया जा सके। पूर्व अधिनियम के अनुसार, हम अधिकारियों पर यह मानने के लिए मजबूर हैं कि 2 मई, 1901 का आवेदन प्रस्तुति के समय समय से बाधित था और इस तरह निचली अदालत द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था।

इसी तरह का विचार बंबई उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने भी अपनाया था। ज़रीकीबाई तुकाराम बनाम *नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नागपुर*(6), जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था: -

"भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो एक विशेष कानून है, धारा 18 के तहत एक आवेदन के लिए सीमा अधिनियम की पहली अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग एक विशेष सीमा अवधि निर्धारित करता है। और इसलिए, सीमा की ऐसी अवधि निर्धारित करने में धारा 4, धारा 9 से 18 और धारा 2'2 में निहित प्रावधान लागू होंगे। इन धाराओं में से एक सीमा अधिनियम की धारा 12 है, जिसकी उपधारा (2) इस प्रकार है: -

किसी अपील के लिए निर्धारित सीमा की अवधि, अपील की अनुमति के लिए एक आवेदन और निर्णय की समीक्षा के लिए एक आवेदन, जिस दिन शिकायत की गई निर्णय सुनाया गया था, और डिक्री, सजा की एक प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना करना या जिस आदेश की अपील की गई है या जिसकी समीक्षा की मांग की गई है, उसे बाहर रखा जाएगा।'

भरोसा भी रखा गया है *जिजीभोय एन सुरती* में। *टी. एस. चेट्टियार फर्म*(4), यह कहाँ आयोजित किया गया था:

'भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 12, उपधारा (2), जो किसी डिक्री के खिलाफ अपील करने की परिसीमा की अवधि को उसकी एक प्रति प्राप्त करने के लिए "अपेक्षित" समय से बाहर रखती है, तब भी लागू होती है जब उच्च के नियम द्वारा न्यायालय को अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।'

लेकिन मेरी राय में, धारा 12 की उपधारा (2) एक अपील, अपील की अनुमति के लिए एक आवेदन और फैसले की समीक्षा के लिए एक आवेदन को संदर्भित करती है। इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन पर उप का आवेदन लागू नहीं होता हैअनुभाग(2) परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के.

(12) धारा 12 की उपधारा (4) पर भी भरोसा रखा गया हैपरिसीमन अधिनियम जो इस प्रकार है:

'किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करने में पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को बाहर रखा जाएगा।'

और पर *बुर्जोरजी* में। *विशेष कलेक्टर, रंगून* (7), जहां यह माना गया कि सीमा अधिनियम की धारा 12 (4) किसी मामले को न्यायालय में संदर्भित करने के लिए कलेक्टर को दिए गए आवेदन पर लागू होती है और आवेदक कलेक्टर के पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर करने का हकदार है। . बहुत सम्मान के साथ, मैं इस दृष्टिकोण से असहमत हूं क्योंकि धारा 12 की उप-धारा (4) किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन को संदर्भित करती है जैसे कि मध्यस्थता

कार्यवाही में एक पुरस्कार और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18' के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन कभी नहीं हो सकता है। इसे किसी पुरस्कार को रद्द करने के आवेदन के रूप में माना जाएगा। यदि संदर्भ स्वीकार कर लिया जाता है तो भी पुरस्कार में केवल संशोधन किया जा सकता है। इसलिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन को किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है *राज्य के सचिव* में। *करीम बक्से* (8), अपने तर्क के समर्थन में कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक आदेश की प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय को अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान द्वारा निर्धारित छह सप्ताह की अवधि की गणना के प्रयोजनों से बाहर नहीं किया जा सकता है।

8. आखिरी मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय है हरि कृष्ण खोसला बनाम *पेप्सू राज्य* (9), जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था: -

> "दूसरे सवाल पर ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती. याचिकाकर्ता धारा 12 के तहत पुरस्कार की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में बिताए गए समय की कटौती का दावा करता है। इस संबंध में पहला प्रश्न यह निर्धारित किया जाना है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 29 ऐसा करेगी

7. वायु। 1926 रंग. 135.
8. वायु। 1939 ई. 130.
9. वायु। 1958 पी.बी. 490.

वर्तमान मामले में लागू हो. धारा 29(2) निम्नलिखित शर्तों में है:-

> 'जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए पहली अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा अवधि निर्धारित करता है, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि ऐसी अवधि उस अनुसूची में निर्धारित की गई थी, और ^ किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से:
>
> (ए) धारा 4, धारा 9 से 18 और धारा 22 में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे, जहां तक और जिस हद तक, उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है।'

यह दावा किया जाता है कि धारा 12 तब तक लागू होगी जब तक इसे विशेष या स्थानीय कानून, अर्थात् अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है। में *नफीस-उद-दीन* में। *राज्य सचिव* (10), यह माना गया कि सीमा अधिनियम की धारा 12 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करने में लागू नहीं होती है और इसलिए, इसके लिए आवश्यक समय पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने पर कटौती नहीं की जा सकती।

हालाँकि, यह निर्णय बहुत मददगार नहीं है क्योंकि इसमें इस मामले पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। काशी प्रसाद *बनाम अधिसूचित क्षेत्र महोबा* (11), यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 29 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन पर लागू नहीं होती और लाहौर मामले का पालन किया गया। यह तय किए बिना मान लें कि धारा 12 लागू होती है, जो वास्तव में लागू की गई थी *एच. एन. बुर्जोरजी* में। *रंगून के विशेष कलेक्टर* (7), वर्तमान मामले में धारा 12 का लाभ नहीं दिया जा सकता। धारा 12 की एकमात्र उपधारा, जिसके अंतर्गत वर्तमान मामला आ सकता है, (4) है जो निम्नलिखित शब्दों में है: -

> किसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन के लिए निर्धारित सीमा अवधि की गणना करते समय, पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को बाहर रखा जाएगा।'

7. आई.एल.आर. 9 देखें. 244= ए.आई.आर. 1927 लो. 858(2).
8. आई.एल.आर. 54 सभी. 282= ए.आई.आर. 1932 सभी. 598.

यह नहीं माना जा सकता कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ बनाने के लिए एक आवेदन एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन के बराबर है। कलेक्टर को केवल संदर्भ बनाना है जिसमें पुरस्कार की पुष्टि की जा सकती है या मुआवजे की राशि बढ़ाकर एक अलग पुरस्कार दिया जा सकता है।

> हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसने आधिकारिक तौर पर इस प्रश्न पर विचार किया हो और माना हो कि धारा 12(4) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत किए गए आवेदन के मामले को कवर करेगी।"

(10) अब मैं श्री आनंद सरूप, विद्वान वकील को उन 2 मामलों पर ध्यान देना चाहता हूं जिनका संदर्भ दिया गया था। पहला मामला लाहौर उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच का फैसला है *मुहम्मद हयात हाजी मुहम्मद सुर्दार* में। *आयुक्त, आयकर पंजाब & एन.डब्ल्यू.एफ.पी.*

7. . उस मामले के तथ्य यह थे कि आयकर अधिनियम की धारा 66(3) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि आयकर आयुक्त को कानून के कुछ प्रश्नों को उच्च न्यायालय में संदर्भित करने की आवश्यकता होगी जो उनके आदेश, दिनांक 17 अगस्त से उत्पन्न हुए थे। 1927, धारा 66 की उप-धारा (2) के तहत पारित किया गया। उप-धारा (3) के तहत, आदेश की तामील की तारीख से छह महीने के भीतर याचिका दायर की जा सकती थी। सवाल उठा कि क्या याचिकाकर्ता धारा 66 (3) के तहत आवेदन दाखिल करते समय आयकर आयुक्त के आदेश की प्रति प्राप्त करने में खर्च किए गए समय में कटौती का हकदार है या नहीं। विद्वान न्यायाधीशों ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 29 पर भरोसा करते हुए कहा कि "यदि प्रतिलिपि प्राप्त करने में बिताए गए दिनों को बाहर रखा जाए, जैसा कि धारा 29, लिमिटेशन एक्ट (1922 में संशोधित) के तहत होना चाहिए, तो याचिका समय के भीतर है।" लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से शायद ही कोई मदद मिले क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही लिमिटेशन एक्ट की धारा 12 पर विचार करने के बाद मामले पर विचार किया गया.

(एच) अगला मामला जिस पर भरोसा किया गया, वह पटना उच्च न्यायालय का है मोहन लाए हरदेऊ दास *बनाम आयकर आयुक्त, बिहार* &*ओडिशा* (13). वह मामला आयकर अधिनियम के तहत अलग से था और विद्वान न्यायाधीशों ने, जिस बिंदु पर हमारे सामने बहस की है, वह इस प्रकार है: -

> "इस प्रकार, मुझे लगता है कि धारा 12 में निर्धारित मुख्य सिद्धांत को मानने के लिए कानून पर दबाव नहीं डाला जाएगा, अर्थात्,
>
> प्रतियां प्राप्त करने की अवधि को कुछ मामलों में परिसीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे धारा 29 द्वारा विशेष कानून के तहत एक मुकदमे, अपील या एक आवेदन के मामले में लागू किया गया है, जिसके लिए परिसीमा की अवधि निर्धारित की गई है और यह होगा आयकर अधिनियम की धारा 66(2) और (3) के तहत एक आवेदन को कवर करें। मेरे निर्णय में, तकनीकी बातों के अलावा, विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने का यह एकमात्र उचित तरीका होगा। यह वह दृष्टिकोण है जो लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा उस मामले में लिया गया है जिसे मैंने अभी संदर्भित किया है और जो एक ऐसा मामला था जिसमें धारा 66 के तहत उच्च न्यायालय में किए गए एक आवेदन के संबंध में परिसीमा का प्रश्न उठा था। , खंड 3. यह काफी हद तक रंगून उच्च न्यायालय का भी दृष्टिकोण है और इसे तर्क की उस पंक्ति से कोई कम समर्थन नहीं मिलता है जिसे कई मामलों में अपनाया गया था जो 1922 के अधिनियम 10 के पारित होने से पहले तय किए गए थे। उन दिनों, धारा 29, सीमा अधिनियम, या कहीं और सीमा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को बनाने के लिए कुछ भी नहीं था जैसा कि धारा 4, 9 से 18 और 22 में पाया जाता है जो किसी भी विशेष कानून या अधिनियम पर लागू होता है। हालाँकि, कई मामलों में यह माना गया कि ये सामान्य प्रावधान एक विशेष अधिनियम पर लागू होंगे जहाँ अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता नहीं है।

विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ और अपने फैसले के पहले भाग में दर्ज कारणों के चलते, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं।

12. दूसरा मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह उड़ीसा उच्च न्यायालय का है *शत्रुघ्न मॉल* में। *राजस्व आयुक्त, उड़ीसा* (14). उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने ऊपर उल्लिखित लाहौर और पटना उच्च न्यायालयों और रंगून उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। रामनाथ रेड्डियर *बनाम कमिश्नर, आयकर*(15), और निम्नानुसार आयोजित किया गया है :•— _ >

> "श्री महापात्र द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति को पूरा करना अधिक कठिन है। परिसीमा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) है,<u>में</u> शर्तें, (i) अपील, (ii) समीक्षा के लिए आवेदन तक सीमित

14. वायु। 1956 उड़ीसा 34.
15. वायु। 1928 रंग. 152.

> निर्णय और (iii) अपील की अनुमति के लिए आवेदन। एक सख्त निर्माण पर, इसलिए, वह उप-धारा उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए एक मामले को बताने के लिए उड़ीसा कृषि आयकर अधिनियम की धारा 29(2) के

तहत एक आवेदन के संबंध में याचिकाकर्ता की मदद नहीं कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि धारा 66, भारतीय आयकर अधिनियम में संबंधित प्रावधान 1930 के अधिनियम 22 द्वारा 1930 में किए गए संशोधनों से पहले था, जिसे तीन उच्च न्यायालयों द्वारा एक उदार निर्माण दिया गया था देखें- *मोहरीलाल* बनाम *आयकर आयुक्त बी'* (13), *रामनाथ रेड्डियर* बनाम *आयुक्त@आयकर (15), और मो. हयात हाजी मोहम्मद बनाम आयुक्त, आयकर, पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी* (12).

उन सभी निर्णयों में, यह माना गया कि धारा 12(2), सीमा अधिनियम धारा 66(1), आयकर अधिनियम के तहत एक मामले को बताने के लिए आयकर प्राधिकरण को एक आवेदन के संबंध में लागू होगा। निस्संदेह, जहां तक आयकर कानून का सवाल है, विधायिका ने 1930 के संशोधित अधिनियम 22 द्वारा धारा 67-ए को सम्मिलित करके इन निर्णयों को मान्यता दी। लेकिन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इस तरह की उदार संरचना देने के लिए जो कारण दिए गए हैं, वे प्रतीत होते हैं काफी ठोस है और वर्तमान उदाहरण में भी इसे अपनाया जा सकता है।" पुनः, अत्यंत सम्मान के साथ, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं।

13. एकमात्र अन्य निर्णय जिसका संदर्भ दिया जाना आवश्यक है वह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है *सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर, कलकत्ता, और एक अन्य,* बनाम *एमएस। बेस्ट एंड कंपनी* (16). विद्वान वकील ने इस प्रस्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भरोसा जताया कि अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत, संदर्भ दाखिल करने के लिए कलेक्टर को दिए जाने वाले आवेदन में विस्तार से आधार देना आवश्यक है, कि ऐसे आधार दिए जाने से पहले पुरस्कार की प्रति आवश्यक है, और इन कारणों से पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने में लगने वाला समय कानूनी रूप से काटा जा सकता है। मेरे विचार से, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य के इस फैसले से याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं होगा। जिस बिंदु को लेकर हम चिंतित हैं, वह उस मामले में निर्णय का विषय नहीं था। उस मामले में सवाल यह था कि क्या जिन याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दायर किया था, वे फैसले और आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय में कटौती के हकदार थे, इस तथ्य के बावजूद कि यह नहीं था। उन प्रतियों को अनुच्छेद 133 के तहत दायर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यह उस प्रश्न पर था कि उनके भगवान

जहाजों ने माना कि याचिकाकर्ता निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए समय में कटौती करने का हकदार था। जैसा कि पहले देखा गया है, मामले के तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य के फैसले से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिली है। यहां हम चिंतित हैं कि क्या याचिकाकर्ता परिसीमा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) का लाभ ले सकता है ताकि धारा 12 की उपधारा (2) का दायरा बढ़ाया जा सके।ए

13. उपरोक्त चर्चा से, मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि संदर्भ के लिए आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय, पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने में बिताया गया समय नहीं काटा जा सकता है और धारा 18 के तहत संदर्भ बनाने के लिए आवेदन को कवर नहीं किया जाता है। धारा 18 की उपधारा (2) के प्रावधानों द्वारा।
14. विकल्प में, विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप द्वारा यह तर्क दिया जाना चाहा गया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं आता है, तब भी याचिकाकर्ता समय कटौती का हकदार है। धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत अपने मामले के रूप में पुरस्कार की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए। संक्षेप में, विद्वान वकील

का तर्क यह था कि वास्तव में, अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन सेटिंग के लिए एक आवेदन था कलेक्टर के पुरस्कार को छोड़कर और इसलिए धारा 12 की उप-धारा (4) को आकर्षित किया गया था। पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, मैं विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में खुद को असमर्थ पाता हूं। धारा 18 जो संदर्भ के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है, निम्नलिखित शर्तों में है: -

> "18(1) कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह मांग कर सकता है कि मामले को कलेक्टर द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए भेजा जाए कि क्या उसकी आपत्ति भूमि की माप, राशि पर है मुआवज़े का, वह व्यक्ति जिसे यह देय है या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच मुआवज़े का बंटवारा।।।

2. आवेदन में उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर पुरस्कार पर आपत्ति ली गई है:

बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक आवेदन किया जाएगा, -

1. यदि इसे बनाने वाला व्यक्ति पुरस्कार देने के समय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था।

   कलेक्टर के पुरस्कार की तारीख से छह सप्ताह के भीतर;

2. अन्य मामलों में, धारा 12, उप-धारा (2) के तहत कलेक्टर से नोटिस प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर, या कलेक्टर के पुरस्कार की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त होगी।

धारा 18 के तहत संदर्भ का दायरा केवल चार बिंदुओं तक सीमित है, अर्थात्, भूमि की माप से संबंधित आपत्तियां, मुआवजे की राशि, वह व्यक्ति जिसे यह देय है, और इच्छुक व्यक्तियों के बीच राशि का बंटवारा। आवेदन इस धारा के परंतुक में निर्दिष्ट सीमा अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। कलेक्टर के पुरस्कार से असंतुष्ट इच्छुक व्यक्ति के लिए एकमात्र उपाय धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करना है। कला ने एक विशेष क्षेत्राधिकार बनाया है और उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग से किए गए किसी भी काम से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक विशेष उपचार प्रदान किया है। कलेक्टर का निर्णय, हालांकि सरकार के खिलाफ निर्णायक है, यह मामले को न्यायालय में भेजने के भूमि मालिकों के अधिकार के अधीन है।

16. इस खंड को पढ़ने के बाद, इसे रोका नहीं जा सकता, कि कलेक्टर को दिया गया आवेदन एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए है। यह केवल एक आवेदन है जिसमें मूल्य की न्यायिक पुष्टि के लिए मामले को कलेक्टर द्वारा न्यायालय में भेजने की आवश्यकता होती है। संदर्भ प्राप्त होने पर न्यायालय अधिग्रहीत भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ता है और धारा 26 के तहत निर्धारित प्रपत्र में एक पुरस्कार देता है जो इस प्रकार है: -

> "26. (1) इस भाग के तहत प्रत्येक पुरस्कार न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित होगा, और धारा 23 की उपधारा (1) के पहले खंड के तहत दी गई राशि निर्दिष्ट करेगा, और क्रमशः दी गई रकम (यदि कोई हो) भी

निर्दिष्ट करेगा उसी उप-धारा के प्रत्येक अन्य खंड के तहत, उक्त प्रत्येक राशि को पुरस्कार देने के आधार के साथ।

2. ऐसे प्रत्येक पुरस्कार को एक डिक्री माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक पुरस्कार के आधार का विवरण क्रमशः धारा 2, खंड (2) और धारा 2 के अर्थ के भीतर एक निर्णय होगा। खंड (9), नागरिक संहिता की प्रक्रिया, 1908।"

को न्यायालय कलेक्टर के पुरस्कार को रद्द नहीं करता; लेकिन मुआवज़े के सवाल पर अपना न्यायिक फैसला देता है। अधिक से अधिक यह तर्क दिया जा सकता है कि न्यायालय द्वारा दिए गए पुरस्कार के परिणामस्वरूप कलेक्टर द्वारा दिए गए पुरस्कार में संशोधन होता है; लेकिन किसी भी हद तक यह नहीं माना जा सकता है कि न्यायालय द्वारा संदर्भ पर दिए गए पुरस्कार के परिणामस्वरूप पुरस्कार को रद्द कर दिया जाता है *का* संग्राहक। इस प्रकार, मेरा मानना है कि जिस आवेदन में मामले को कलेक्टर द्वारा न्यायालय में भेजने की आवश्यकता होती है, वह किसी पुरस्कार को रद्द करने का आवेदन नहीं है जैसा कि परिसीमा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के तहत परिकल्पित है।

16. उपर्युक्त कारणों से, प्रश्न नकारात्मक है और यह माना जाता है कि आवेदक को बाहर करने का अधिकार नहीं है। धारा 18 की उपधारा (2) के तहत निर्धारित सीमा अवधि की गणना करते समय पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने में लगने वाली अवधि।

एचअरबन्सएसआईएनजीएच, सी.जे.-

16. (18) मैं इस बात से सहमत हूं कि परिसीमा अधिनियम की धारा 12 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 की शब्दावली और न्यायिक दृष्टिकोण की प्रबलता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मेरे विद्वान भाई, एफ.सी. जैन, जे. ने देखा है, उत्तर प्रश्न नकारात्मक में देना होगा। मामला अब उपरोक्त उत्तर के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस जाएगा।

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह.-मैं भी सहमत हूं।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, हरियाणा